abcaus.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2005/अग्रहायण 22, 1927

No. 507] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2005/AGRAHAYANA 22, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ) और खण्ड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, धन-शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और माध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 में,—

(i) नियम 5 में, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 7 में,—

(क) उपनियम (3) में, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में, "भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उपनियम (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उपनियम (3) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

abcaus.in

(iii) नियम 8 में, "7 तारीख तक" शब्दों और अंक के स्थान पर, "15 तारीख तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iv) नियम 10 के उपनियम (2) में, "समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "समय-समय पर, यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 15/2005-ईएस/फा. सं. 6/9/2005-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2005

G.S.R. 717(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of Sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) (Amendment) Rules, 2005.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005,—

   (i) in rule 5, for the words "Securities and Exchange Board of India", wherever they occur, the words "Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority," shall be substituted;

   (ii) in rule 7,—

   (a) in sub-rule (3) for the words, "Securities and Exchange Board of India" the words "Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority," shall be substituted;

   (b) in sub-rule (4) for the words, brackets and figure, "Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India under sub-rule (3),", the words, brackets and figure. "Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India and the Insurance Regulatory and Development Authority under sub-rule (3)," shall be substituted;

   (iii) in rule 8, for the words, figure, and letters "by the 7th day of the", the words, figures and letters "by the 15th day of the" shall be substituted;

   (iv) in rule 10, in sub rule (2) for the words "Reserve Bank of India from time to time", the words "Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority, as the case may be, from time to time" shall be substituted.

[Notification No. 15/2005-ES/F. No. 6/9/2005-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* Notification No. G.S.R. 444(E), dated 1st July, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.